भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE INDIA रुपया RUPEE INDIA 50 PAISE

न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. ------- नि.मा.
92-93

(25)

नि/668/93

मे. ज्योती इलैक्ट्रीकल्स मुरैना
प्रौ. कमल शाँडिल्य पुत्र दामोदर दास शाँडिल्य
आयु 27 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी गणेशपुरा
तेहसील व जिला मुरैना (म.प्र.)
--- प्रार्थी

विरूद्ध

1- ब्यासीराम आयु 83 वर्ष
2- रामसिंह आयु 81 वर्ष
3- रामदयाल आयु 75 वर्ष
4- भोगीराम आयु 77 वर्ष
5- पंचम सिंह आयु 79 वर्ष
पुत्रगण कल्लूराम समस्त जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम-जौरी, परगना व जिला
मुरैना (म.प्र.)
--- असल प्रतिप्रार्थीगण
(अपीलान्ट्स)

6- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर मुरैना
7- म.प्र. शासन द्वारा उद्योग विभाग मुरैना
(म.प्र.) --- तरतीबी प्रतिप्रार्थीगण
(रेस्पोंडेन्ट्स)

RN/4-2/R/668/93
कमल शाण्डिल्य 13.8.93
13.8.93

(कमल शांडिल्य)
13/8/93

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 8-7-93 अपर- आयुक्त
महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 187/92-93अ.मा.

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यह कि ग्राम जौरी परगना व जिला मुरैना में सर्वे नं. 565 रकवा 14 विस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि में से 10000 वर्ग फीट भूमि प्रार्थी की इकाई मे.ज्योती इलैक्ट्रीकल्स मुरैना को जिला उद्योग

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 668/1993 **जिला–मुरैना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.09.2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 28–01–2009 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 03–09–2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 28–01–09 से 03–09–14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे । वहीं सुनवाई दिनांक 03–09–2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1993 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	